<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—621/2010 संस्थित दिनांक—30.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. चार्ली पुत्र बैजनाथ यादव उम्र 31 साल,
- 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह यादव उम्र 29 साल,
- 3. अतल सिंह पुत्र कोमल सिंह यादव उम्र 62 साल, **फौत**
- चन्दन सिंह पुत्र प्यारे सिंह यादव उम्र 57 साल, निवासीगण ग्राम छपरा जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 28.02.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 324/34, 341, 294, 506 भाग—2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—12.12.2010 को समय करीब 07:45 बजे ग्राम छपरा में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी विरमाल सिंह के साथ धारदार हथियार फर्सा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर उसे गंतव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.2010 को पोने आठ बजे गावं के चार्ली यादव फर्सा गजेंद्र, अतल सिंह, चंदन सिंह लाठी लेकर आये और फरियादी विरमाल सिंह के पत्थर को कोट गिराने लगे फरियादी विरमाल सिंह ने मना किया, तो चारों अभियुक्तगण ने फरियादी विरमाल सिंह को मादरचोद बहनचोद की बुरी—बुरी गालियां देकर बोले कि मादरचोद रोड तो तेरा कोट गिराकर ही गिरेगी। फरियादी विरमाल सिंह ने गालियां देने से मना कि सोई चारों ने फरियादी विरमाल सिंह घेर कर उसका रास्ता रोककर चार्ली यादव ने एक फर्सा फरियादी विरमाल सिंह के सिर में मारा चोट होकर खून निकल आया। गजेन्द्र, अतल सिंह, चंदन ने फरियादी विरमाल सिंह की लाठियों से मारपीट की, जिससे दाहिने हाथ की बांह कमर, बाये पैर के टकना में मुंदी चोट आई, झगडा गुड्डा यादव व यशपाल सिंह ने देखी व बीच—बचाव किया उक्त लोग भागते हुये कह रहे थे, कि आज तो बच गया, आईन्दा जान से खत्म कर देंगे।
- 03— फरियादी विरमाल ने घटना दिनांक को ही विक्रमपुर चौकी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो अपराध क्रमांक—15 / 2010 अंतर्गत धारा—341, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गईं, फरियादी विरमाल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी विरमाल को धारदार हथियार से उपहति पाये जाने

पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 15/2010 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—341, 294, 323, 506 इजारा 324 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.12.2010 को समय करीब 07:45 बजे ग्राम छपरा में फरियादी विरमाल सिंह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी विरमाल सिंह के साथ धारदार हथियार फर्सा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर की ?
 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विरमाल सिंह को गंतव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?
 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व लोक स्थान पर फरियादी विरमाल सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर
 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ?

फरियादी विरमाल सिंह को व उसे जान से मारने की

विचारणीय प्रश्न कमाक 01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

06— अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में फरियादी विरमाल (अ0सा0—01) सहित गुडडा पुत्र प्यारेलाल (अ0सा0—02) एवं गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ0सा0—05) व यशपाल (अ0सा0—06) के कथन न्यायालय में कराये गये है तथा साथ ही चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा०–०३) व प्रथम सूचना लेखक एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक विष्णुप्रताप (अ०सा०–०४) के कथन भी न्यायालय में कराये गये।

- 07—फिरयादी विरमाल सिंह (अ0सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है वह ग्राम छपरा में गांव के बाहर रहता है। फिरयादी के अनुसार घटना उसके कथन देने के दिनांक से दो ढाई साल पहले सर्दियों के समय की सुबह 07:00 बजे की है। चारों आरोपीगण उसके घर पर आये और उसके मकान के आगे की दीवार को गिराने लगे और आरोपीगण गालिया दे रहे थे, तथा उसके साथ मारपीट भी की थी। विरमाल सिंह (अ0सा0—01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका—04 में यह स्पष्ट किया है कि उसका मकान शासकीय भूमि पर है तथा वहीं पर सरकारी जमीन पर सडक बन रही थी। इस साक्षी ने अभियोजन के द्वारा उसे पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद परीक्षण की किण्डका—03 में यह स्पष्ट किया है कि जहां उसका मकान है वह से मुरम की सडक निकली है और उसकी सडक के बगल से वह अपने मकान की बाउडी बना रहा था, जिस पर विवाद हुआ था।
- 08—विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के अनुसार घटना के समय साक्षी गुडडा जो कि उसका साला है एवं यशपाल भी मौके पर आ गये थे। जिन्होने घटना में बीच बचाव किया था। गुडडा पुत्र फूल सिंह (अ0सा0—05) ने अपने न्यायालीन कथनों में पूरी तरह से अभियोजन घटना का भले ही समर्थन न किया हो, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में फरियादी के कथनों का इस बात पर स्पष्ट समर्थन किया है कि घटना दिनांक को सुबह 07:00 बजे जब वह फरियादी के मकान के सामने बैठा था तो उसे चिल्ला चोट की आवाज बाहर से आई थी और जब उसने बाहर निकल कर देखा, तो चारों आरोपीगण की विरमाल से लडाई हो रही थी तथा आरोपीगण उसे लुहांगी और फर्स से पीट रहे थे।
- 09—यशपाल सिंह (अ0सा0—06) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में भी फरियादी विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के द्वारा बताई गई घटना का समर्थन किया है तथा इस साक्षी ने भी गुड़्डा पुत्र फूल सिंह की मौके पर उपस्थिति प्रमाणित करते हुये, व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को सुबह करीबन 06:00—07:00 बजे विक्रमपुर से छपरा होता हुआ जा रहा था, तो रास्ते में अपने भाई विरमाल सिंह के यहा रूका था तथा वह विरमाल सिंह के घर के बाहर गुड़्डा के साथ बैठा था, तो उसी समय आरोपीगण वहां गालिया देते हुये आये और विरमाल सिंह को कोट गिराने लगें और मना करने पर चारों आरोपीगण ने विरमाल सिंह के साथ मारपीट कर दी।
- 10—यशपाल सिंह (अ0सा0—06) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—06 में यह स्पष्ट किया है कि जब आरोपीगण विरमाल का नाम लेकर गालिया दे रहे थे, तो गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ0सा0—05) घर के अंदर पानी लेने के लिये गया था। अतः इस साक्षी के कथनो से

गुडडा पुत्र फूलिसंह (अ०सा0—05) के कथनों की पुष्टि होती है कि वह घटना के समय घार के अंदर था और चिल्लाचोट की आवाज सुनकर घर के बाहर आकर उसने आरोपीगण को विरमाल सिंह के साथ लडाई करते हुये देखा था। यशपाल सिंह (अ०सा0—06) के द्वारा फिरयादी विरमाल सिंह (अ०सा0—01) के कथनों की इस बात पर भी पुष्टि की गई है, कि घटना के समय वह स्वयं व गुड़डा मौके पर थे और उनके सामने आरोपीगण ने घाटना कारित की थी।

- 11—अतः विरमाल सिंह (अ०सा0—01) के साथ उसके घर पर सुबह के समय चारों आरोपीगण ने आकर उसके मकान के आगे बनी कोट को गिराकर विरमाल सिंह (अ०सा0—01) के साथ गाली—गलौच व मारपीट की थी तथा उक्त घटना गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ०सा0—05) व यशपाल (अ०सा0—06) के समक्ष हुई थीं, इस संबंध में विरमाल सिंह (अ०सा0—01)के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि घटना के दोनों ही साक्षी गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ०सा0—05) व यशपाल (अ०सा0—06) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है।
- 12—विरमाल सिंह (अ०सा०—01)का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में यह स्पष्ट कहना है कि उसका मकान शासकीय भूमि पर है और वहीं से रोड भी निकला है तथा उसने मकान के आगे उसी भूमि पर अपना कोट बना लिया है। गुड्डा पुत्र फूलसिंह अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—03 में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये व्यक्त किया है कि उसकी बहन का मकान सरकारी जमीन पर है और वहीं से रोड निकल रही थी। यशपाल (अ०सा०—06) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—03 में यह स्पष्ट किया है कि उसके भाई का मकान शासकीय जमीन पर बना है तथा सरकारी जमीन पर ही घाटना के समय सडक बन रही है।
- 13—प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से भी अपने बचाव में साक्षी लाखन सिंह (ब0सा0—01) के कथन न्यायालय में कराये गये है, जिसका अपने न्यायालीन कथनों में भी यह कहना है कि फिरयादी का मकान अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर बना है, 7—8 साल पहले रिववार के दिन सुबह 10:00—11:00 बजे वह स्वयं मौके पर उपस्थित था और पंचायत के द्वारा डलवाई जा रही रोड का काम देख रहा था और वही पर आरोपीगण खंती मिट्टी डालकर मजदूरी कर रहे थे, जिस पर विरमाल सिंह ने आकर रोड का काम करने से रोका था।
- 14—बचाव पक्ष की ओर से स्वयं भी फरियादी विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के प्रतिपरीक्षण की किण्डका—06 में यह सुझाव दिया गया है कि चारों आरोपीगण घटना के समय मौके पर आये थे और चनकारी से बना कोट मिटाने लगे थे और दीवार भी गिरा दी थी, जिसे स्वयं विरमाल सिंह (अ0सा0—01) ने स्वीकार करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण में किण्डका—06 में ही यह स्पष्ट किया है कि चारों आरोपीगण कोट गिराने लगे थे और उसे गालिया दे रहे थे। गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ0सा0—05) के प्रतिपरीक्षण की किण्डका—03 में भी बचाव पक्ष के द्वारा स्वतः ही यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण ने स्वयं विरमाल सिंह से

कहा था कि सरकारी जमीन से कोट हटा कर वह रोड बनायेंगे और इसी बात पर विवाद हुआ था। उपरोक्त सुझाव को भी गुड्डा पुत्र फूलसिंह (अ०सा०–०५) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–०३ में स्वीकार किया है।

- 15—यशपाल सिह (अ०सा0—06) के प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—03 में बचाव पृक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि चारों आरोपीगण विरमाल सिंह से कोट हटा कर सड़क बनाने का कह रहे थे तथा प्रतिपरीक्षण में किण्डिका—08 में यह सुझाव भी दिया गया है कि आरोपीगण सड़क बना रहे थे, इसलिए मौके पर विवाद हुआ था। बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझावों को हालांकि यशपाल सिंह (अ०सा0—06) ने कमशः अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—03 व 08 में अस्वीकार किया है। परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डित है कि घटना के समय वह मौके पर था और उसके सामने ही चारों आरोपीगण विरमाल सिहं (अ०सा0—01) के घर पर आये थे और कोट गिराने लगे थे।
- 16—फरियादी विरमाल सिंह (अ०सा0—01) गुड्डा पुत्र फूलसिह (अ०सा0—05) व यशपाल सिंह (अ०सा0—06) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि घटना दिनांक को सुबह करीबन 07:00—08:00 बजे आरोपीगण ने विरमाल सिंह के घर पर आकर रोड बनाने पर से विरमाल सिंह के द्वारा शासकीय भूमि पर बनाये गये मकान के आगे बना कोट तोड़ा था, जिस पर से विवाद हुआ था। वहीं चारों आरोपीगण घटना के समय मौके पर उपस्थित थे तथा उनके द्वारा सरकारी जमीन पर विरमाल सिंह (अ०सा0—01) के मकान के सामने से रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, इस बात का खण्डन भी बचाव पक्ष न करते हुये स्वयं लाखन सिंह (ब०सा0—01) के कथनों व अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि चारों आरोपीगण घटना के समय सुबह 07:00—08:00 बजे विरमाल सिंह के घर के आगे रोड बनाने का कार्य कर रहे थे और रोड बनाने के कार्य में फरियादी के मकान के आगे बने कोट होने से मौके पर विवाद हुआ था।
- 17—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह प्रमाणित होता है कि घटना लगभग सुबह 07:00—08:00 बजे की विरमाल सिंह के घर के बाहर की है, जहां पर आरोपीगण के द्वारा रोड डालने के कार्य पर से फरियादी के शासकीय भूमि पर बने मकान का कोट हटाने पर से मौके पर विवाद हुआ था। लाखन सिंह (ब0सा0—01) का अपने कथनों में यह कहना है कि विरमाल सिंह (अ0सा0—01) ने आरोपीगण को आकर गालियां दी थी और काम करने से रोका था और जब वह गुस्से में आकर लाठी लेने के लिये घर गया था, तो पत्थर से गिरने से उसके मुंह व हाथ में चोट आई थी, जबकि विरमाल सिंह (अ0सा0—01)का कहना है कि आरोपीगण उसे गालियां दे रहे थे और गालिया देने से मना करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें चार्ली के द्वारा सिर में फर्सा मारने से व अन्य आरोपीगण के द्वारा लाठी व लुहांगी से मारने से उसे चोट आई थी।

- 18—बचाव पक्ष के द्वारा लाखन सिंह (ब0सा0—01) के कथनों के माध्यम से ली गई प्रतिरक्षा एवं विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के कथनों को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि विरमाल सिंह (अ0सा0—01) को घटना दिनांक को आई चोटें वास्तव में स्वः कारित थी अथवा अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थी, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बचाव के द्वारा दी गई प्रतिरक्षा से यह तो स्पष्ट होता है कि घटना के समय फरियादी को चोटें अवश्य आई थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक विष्णुप्रताप (अ0सा0—04) के द्वारा लेखबद्ध की गईं, जिसने अपने परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 उसके द्वारा लेखबद्ध की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने इस बात की भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—03 में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी के सिर में बीच में चोट आई थी तथा कमर में भी चोट आई थी, जिसका उल्लेख उसके द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 में है।
- 19—अतः लाखन सिंह (ब0सा0—01) व विष्णुप्रताप (अ0सा0—04) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने से पूर्व एवं घटना के समय ही विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के सिर में व शरीर में अन्य जगहों पर चोटे थी। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ असा 3 ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक—12.12.10 को ही उनके द्वारा विरमाल सिंह (अ0सा0—01)का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसमें फरियादी के सिर के दाहिनी तरफ पैराईटल भाग पर उनके द्वारा 10 गुणित 02 से.मी. गुणित हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव सहित पीठ, दाहिनी ऊपरी भुजा, बाये पैर के टकनों पर अलग—अलग आकर के नीलगू निशान पाये थे। डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ0सा0—03) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी—04 से होती है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। ?
- 20—अतः डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा०—03) की चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को जब विरमाल सिंह (अ०सा०—01)का पुलिस के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, तो विरमाल सिंह (अ०सा०—01) के सिर में कटे घाव की चोट के साथ शरीर में अन्य जगहों पर नीलगू निशान की चोटे भी थी। लाखन सिंह (ब०सा0—01) का अपने कथनो में यह कहना है कि विरमाल सिंह (अ०सा0—01) को पत्थर पर टकरा कर गिरने से चोट आई थी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति पत्थर से टकराकर नीचे गिरे, तो सिर पर इस तरह की चोट आना संभव नही है, क्योंकि गिरने से हाथों और पैरों में सर्वप्रथम चोट आती है और सिर की चोट तभी आयेगी जब सिर पत्थर से टकराया हो। अतः उपरोक्त आधार पर फरियादी विरमाल सिंह (अ०सा0—01) के सिर में कटा घाव पत्थर से गिरने से आना सम्भव प्रतीत नही होता है।
- 21—डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा०–०३) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि फरियादी को आई चोट स्वः कारित नहीं थी और पत्थर पर गिरने से आ सकती है।

डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा०–०3) का यह स्पष्ट कहना है कि उक्त सिर की चोट लोहे की धारदार वस्तु पर गिरने से आ सकती है। डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा०–०3) के कथन एवं दिया गया अभिमत स्पष्ट दर्शित करता है कि धारदार वस्तु के प्रहार से यह धारदार वस्तु पर गिरने से ही चोट क्रमाक–01 आना संभव है।

- 22—विरमाल सिंह (अ०सा0—01) व यशपाल सिंह (अ०सा0—06) ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि चार्ली के द्वारा फरियादी के सिर में फर्सा मारा गया था, जिससे उसे सिर में चोट आई थी, उक्त चोट की पुष्टि डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ०सा0—03) के चिकित्सीय साक्ष्य भी होती है तथा उक्त चोट का धारदार उपकरण फर्सा से ही कारित हो सकती है। लाखन सिंह (ब०सा0—01) का अपने कथनों में कहना है कि आरोपीगण से फरियादी की पूर्व की रंजिश है, जबिक विरमाल सिंह (अ०सा0—01) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि कोई पूर्व की रंजिश उनके मध्य नही थी, पूर्व की रंजिश होना बचाव पक्ष के द्वारा कही भी स्थापित नही किया गया। स्वयं लाखन सिंह (ब०सा0—01) का कहना है कि अभियुक्तगण मजदूरी पर रोड का काम कर रहे थे तथा रोड बनाने के कार्य के दौरान कोट गिराने पर से विवाद हुआ था, ऐसे में फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य पूर्व की रंजिश होने के कोई युक्ति—युक्त आधार अभिलेख पर नही है।
- 23—निश्चित रूप से अभियोजन साक्षी गुडडा पुत्र फूलिसंह (अ0सा0—05) मारपीट की घटना अपने सामने न होना बताने से अभियोजन का समर्थन नहीं करता है, परन्तु मौके पर अभियुक्तगण ने आकर फिरयादी के साथ गाली—गलौच की थी तथा उक्त घटना उसके सामने घटित हुई, इस संबंध में साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय है। गुड्डा पुत्र प्यारे सिंह (अ0सा0—02) ने भले ही अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन न किया हो, परन्तु घटना में अभियुक्तगण ने विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के घर पर आकर विरमाल सिंह के साथ गाली—गलौच की थी तथा सडक बनाने पर से फिरयादी का कोट गिराकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें अभियुक्त चार्ली ने फिरयादी के सिर में फर्सा मारा था, इस संबंध में फिरयादी विरमाल सिंह (अ0सा0—01) व यशपाल सिंह (अ0सा0—06) की साक्ष्य संपूर्ण परीक्षण में अकाट्य व अखण्डित रही है तथा विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 से भी होती है तथा डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (अ0सा0—03) की चिकित्सीय साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विरमाल सिंह (अ0सा0—01) के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण में जो चोट पाई गई थी, वो धारदार हथियार जैसे फर्से से ही कारित की गई थी।
- 24—अभियुक्तगण रोड बनाने का कार्य मजदूरी पर कर रहे थे, फरियादी से उनकी पूर्व की रंजिश का कोई युक्ति—युक्त आधार नहीं है। एक व्यक्ति बिना किसी आधार के चोट लगने के बाद अकारण ही अनजान व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट थाने पर करेगा, इस पर कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से फरियादी व अन्य साक्षी के कथनों में मामूली विरोधाभस है कि चार्ली के अलावा शेष अभियुक्तगण

ने किस किस हथियार से विरमाल सिंह (अ०सा0–01) के साथ मारपीट की तथा किस अभियुक्त ने कहा मारपीट की, परन्तु चारों अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं चार्ली को छोडकर शेष अभियुक्तगण के द्वारा लाठियों से मारपीट की जाने के संबंध में पर्याप्त रूप से विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर है।

- 25—अभियुक्तगण की एक साथ घटना स्थल पर उपस्थिति तथा उनका एक राय होकर सडक बनाने के लिये कोट गिराना एवं मौके पर फरियादी से विवाद करना और उक्त विवाद में चार्ली के द्वारा फरियादी के सिर पर फर्से से प्रहार करना अपने आप में उक्त घटना कारित करने का अथवा फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय दर्शित करता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये यदि शेष अभियुक्तगण के द्वारा लाठी डण्डों से कारित की गई चोट को न भी देखा जाये, तो अभियुक्त चार्ली के द्वारा फर्से से कारित की गई उपहित के संबंध में जो कि सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई, इसके लिये सभी अभियुक्तगण दायी है।
- 26—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व समय पर ग्राम छपरा में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी विरमाल सिंह के साथ धारदार हथियार फर्सा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।

विचारणीय प्रश्न कमाक 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 27—विरमाल सिंह (अ०सा०—01) का अपने मुख्यपरीक्षण में कहीं भी यह कहना नहीं है कि आरोपीगण ने उसे किसी विशेष दिशा में जहां उसे जाने का अधिकार था, जाने से रोका था। इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका—09 में इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोका था तथा पुलिस को भी इस संबंध में कोई हाटना लेख न कराना बताया है, वहीं यशपाल सिंह (अ०सा०—06) का अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—08 में कहना है कि आरेपीगण ने विरमाल सिंह का रास्ता रोका था। अतः उपरोक्त संबंध में विरमाल सिंह (अ०सा०—01) व यशपाल (अ०सा०—06) के कथन में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है।
- 28—यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 में यह लेख है कि रास्ता रोककर आरोपीगण ने मारपीट की थी तथा यशपाल (अ0सा0—06) भी आरोपीगण के द्वारा रास्ता रोकना अपने कथनों में बताता है। यदि उक्त कथनों को शब्दशः स्वीकार कर भी लिया जाये तो तब भी अभियुक्तगण का कृत्य भा.द.वि. की धारा 341 की परिधि में नहीं आता है। मात्र मारपीट के लिये रास्ता रोकना धारा 341 भा.द.वि. के तहत् अपराध नहीं हैं। किसी विशिष्ट दिशा में जहां फरियादी को जाने का अधिकार था उसे जाने से रोकने पर भा.द.वि. की धारा 341 का अपराध बनता है। वर्तमान प्रकरण में इस आशया की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को किसी विशेष दिशा में जहां उसे जाने का अधिकार था, जाने से रोका था,

अतः उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को ह ाटना दिनांक को गन्तव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया था।

विचारणीय प्रश्न कमाक 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 29—विरमाल सिंह (अ०सा०—01) का अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका—01 में यह स्पष्ट कहना है कि जब आरोपीगण दीवार गिराने लगे तो उसने कहा कि दीवार क्यों गिरा रहे हो तो आरोपीगण ने उसे मादरचोद की गाली दी तथा इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि गालियां सुनने में अच्छी नहीं लगती है। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—06 में पुनः यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण कोट गिराने लगे थे और चारों ही आरोपीगण मादरचोद ओर बहनचोद की गालियां दे रहे थे। फरियादी विरमाल (अ०सा०—01) का कहना है कि उक्त घटना उसके घर के बाहर रोड के पास की है, जो कि निश्चित रूप से यह दर्शित करता है कि घटना स्थल लोक स्थान है जिसकी पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी विष्णु प्रताप (अ०सा०—03) के द्वारा बनाये गये, नक्शा मौका प्रदर्श—पी—05 में दर्शीयें गये घटना से होती है।
- 30—यशपाल (अ०सा0—06) जो कि घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है कि अलावा अन्य किसी साक्षी ने इस संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। यशपाल (अ०सा0—06) ने अपने कथनों में हालांकि अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये गये शब्दों को उल्लेख नहीं किया है, पर इस साक्षी ने अपने कथनों में विरमाल सिंह (अ०सा0—01) कथनों की इस संबंध में पुष्टि की है कि आरोपीगण गालिया देते हुये आये थे ओर विरमाल (अ०सा0—01) का कोट गिराने लगे थे, इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—06 में यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण विरमाल का नाम लेकर उसे गालिया दे रहे थे।
- 31—फरियादी विरमाल सिंह (अ०सा०—०1) का अपने कथनों में यह स्पश्ट कहना है कि कोट गिराने पर से अभियुक्तगण उसे मादरचोद और बहनचोद की गालिया दे रहे थे, जिसकी पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 से भी होती है। विरमाल सिंह (अ०सा०—०1) को अभियुक्तगण ने गालियां दी थी, इसका समर्थन स्वयं यशपाल (अ०सा०—०6) ने अपने न्यायालीन कथनो में किया है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि घटना स्थल लोक स्थान या उसके आसपास का स्थान है।
- 32—फरियादी विरमाल सिंह (अ०सा0—01) ने स्पष्ट यह भी कहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये गये शब्द उसे अच्छे नहीं लगे जो यह दर्शित करता है कि फरियादी को अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये गये अश्लील भाब्दों से उसे क्षोभ कारित हुआ। फलस्परूप उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घ ाटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को मां—बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294 का आरोप प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न कमाक 04 व 05 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 33—विरमाल सिंह (अ०सा0—01) का अपने कथनों की कण्डिका—01 में यह कहना है कि जब गुड्डा और यशपाल ने बीच बचाव किया, तो आरोपीगण उससे कहने लगे थे कि आज छोड जाते है आगे से मौके लगा तो जान से मार देंगे। यशपाल (अ०सा0—06) ने भी अपने कथनों की कण्डिका—02 में व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने फरियादी को धमकी दी थी कि आज तो बच गया, आईन्दा जान से मार देंगे। फरियादी व यशपाल द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को बचाव पृक्ष की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने घटना सथल से जाते—जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी।
- 34—यह उल्लेखनीय है कि भा.द.वि. की धारा 506 बी के अपराध के लिये मात्र जान से मारने की धमकी दिया जाना प्रमाणित होने के आधार पर उपरोक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है। इस का विश्लेषण किये जाने से पूर्व भा.द.वि. की धारा 503 में परिभाषित आपराधिक अभित्रास की परिभाषा का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। भा.द.वि. की धारा 503 के अनुसार ''जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये या उससे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिये वह बैध रूप से हकदार हो, वह अपराधिक अभित्रास करता है।''
- 35—उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक अभित्रास का अपराध तब घटित होगा जब दी गई धमकी संत्राश कारित करने के आशय से दी जाये, या दी गई धमकी ऐसा कार्य का निश्पादन कराने के लिये दी जाये जिस करने के लिये कोई व्यक्ति वैद्य रूप से आबद्ध न हो या दी गई धमकी ऐसा कार्य का लोप करने के लिये दी जाये, जिसे करने के लिये व्यक्ति वैद्य रूप से आबद्ध है। वर्तमान प्रकरण में फरियादी का मात्र यह कहना है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, धमकी किस बाबत् दी या किस कार्य को करने या कार्य का लोप करने के लिये दी गई यह कहीं अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है।
- 36—विरमाल सिंह (अ०सा0—01) को दी गई धमकी संत्राश कारित करने के आशय दी गई थी अथवा नहीं। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य से अन्यथा मौके की परिस्थिति के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है। अभियुक्तगण ने कोई गंभीर उपहित फरियादी को कारित नहीं की गयी। फरियादी ने घटना दिनांक को ही पुलिस चौकी विक्रमपुर में पहुंचकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फरियादी को कोई संत्रास कारित नहीं हुआ और यदि अभियुक्तगण द्वारा कोई धमकी दी भी गयी, तो वह मात्र शाब्दिक धौंस थी, जो कि संत्रास कारित करने के आशय से नहीं दी गयी। अतः ऐसे में अभिलेख

पर आयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 506बी, के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

- 37—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक—12.12.2010 को समय करीबन 07:45 बजे ग्राम छपरा में लोक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया व सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण में से अभियुक्त चार्ली ने धारदार हथियार फर्से से फरियादी विरमाल सिंह को स्वेच्छया उपहित कारित की। इसके अतिरिक्त अभियोजन यह साबित करने में सफल नही हुआ है कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को गन्तव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोश अवरोध कारित किया एवं अभियोजन यह भी साबित नही कर सका कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अपराध का अभित्रास कारित किया।
- 38— फलतः अभियुक्तगण चार्ली पुत्र बैजनाथ यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह यादव, चन्दन सिंह पुत्र प्यारे सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 324/34, 294 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्तगण चार्ली पुत्र बैजनाथ यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह यादव, चन्दन सिंह पुत्र प्यारे सिंह यादव भा.द.वि. की धारा 324/34, 294 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 39—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

40—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा कानूनी प्रक्रिया का उपयोग किये बिना स्वयं कानून अपने हाथ में लेकर फरियादी के साथ मारपीट की गई है और मारपीट में धारदार

फर्से का शरीर के मर्मिक भाग सिर पर प्रहार कर उपहति कारित की गई है, जिसके अन्य गम्भीर परिणाम भी हो सकते थे।

- 41—अतः ऐसे में उपरोक्त परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण चार्ली पुत्र बैजनाथ यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्देन सिंह यादव, चन्दन सिंह पुत्र प्यारे सिंह यादव को भा०दं०वि० की धारा 324/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 03 माह (तीन माह) के सश्रम कारावास एवं 500 / – रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) का पथक से कारावास भूगताया जावे। अभियुक्तगण चार्ली पुत्र बैजनाथ यादव, गजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह यादव, चन्दन सिंह पुत्र प्यारे सिंह यादव को भा0दं0वि० की धारा 294 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 07 दिवस (सात दिवस) के साधारण कारावास एवं 100 / — रूपये (सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस (दो दिवस) का पृथक से कारावास भूगताया जावे।
- 42—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)